

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2021—आश्विन 16, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप पालरेचा पिता श्री चंद पालरेचा, निवासी— 24/1, मेहताजी का वास, रतलाम का विवाह श्रीमती रुचिका पालरेचा से हुआ है, जिसके पूर्व पति से एक पुत्री "जैनी जैन" है और विवाह के उपरांत उक्त पुत्री मेरे साथ ही निवास कर रही है और पिता के रूप में मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, जिस कारण से मेरी पुत्री का नाम "जैनी जैन पिता पियुष के स्थान पर अब "जैनी पालरेचा पिता संदीप पालरेचा" हो गया है. अब मेरी पुत्री इसी नाम से जानी व पहचानी जायेगी और अपने समस्त शैक्षणिक तथा अन्य शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय में इसी नाम से उपयोग करेगी.

पुराना नाम
(जैनी जैन)

(G-577)

नया नाम
(जैनी पालरेचा)
पिता— संदीप पालरेचा.

जाहिर सूचना

मेरे द्वारा यह अंकित किया जाता है कि मेरे द्वारा माननीय श्रम न्यायालय में उज्जैन में अपनी सेवा सम्पत्ति के संबंध में एक वाद प्रस्तुत किया था, जो वाद क्रमांक 44/19 IDR पर दर्ज हुआ, जिसमें दिनांक 04 अगस्त 2020 को मेरे हित में अधिनिर्णय पारित किया गया, जिसके प्रकाश में कार्यालय आदेश क्रमांक 271, दिनांक 31 मार्च 2021 के द्वारा संधारण उपखण्ड क्रमांक 01 में कार्य हेतु नियोजित किया गया. मुझ अंकितकर्ता के प्रकरण में पारित अधिनिर्णय दिनांक 04 अगस्त 2020 में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम लालाराम जाट अंकित हो गया, जबकि उनका सही नाम लालजीराम जाट है, वे लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग में कार्यरत थे इस प्रकार मुझे मुकेश जाट एवं मुकेश चौधरी के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि जाट मेरी जाति है और चौधरी हमारा उपनाम है तथा मेरी दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम मुकेश चौधरी के रूप में अंकित है तथा मेरे आधार कार्ड में मुकेश जाट अंकित है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं और दोनों ही नाम से संबोधित किया जाता है.

पुराना नाम
(मुकेश चौधरी)

पिता— लालजीराम जाट
(G-578)

नया नाम
(मुकेश जाट)
पिता— लालजीराम जाट.

नाम परिवर्तन

मैं, हरिसिंह केवट पिता शंकर, निवासी ग्राम पंवासा, उज्जैन का होकर यह सूचित करता हूँ कि मेरा ही नाम हरीश पिता शंकर एवं हरिसिंह केवट है। मेरे अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम हरिश पिता शंकर अंकित है। मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम हरिसिंह केवट पिता शंकरलाल केवट अंकित है। ये दोनों नाम मेरे ही हैं। मुझे इन दोनों नामों से जाना, पहचाना जाता है। उक्त दोनों नामों का मैं ही एक मात्र व्यक्ति हूँ।

अतः मुझे भविष्य में हरीश केवट के नाम से जाना एवं पहचाना जावें।

पुराना नाम

(हरिसिंह केवट)

(G-579)

नया नाम

(हरीश केवट)

पिता शंकरलाल केवट

निवासी— ग्राम पंवासा, उज्जैन।

CHANGE OF NAME

It is informed to the General Public that previously my Name was KABIR SHARMA S/o SHRI DINESH CHANDRA SHARMA now I have changed my name as AMAN SHARMA S/o SHRI DINESH CHANDRA SHARMA now in future. I will be known as AMAN SHARMA.

Old Name

(KABIR SHARMA)

(G-580)

New Name

(AMAN SHARMA)

27, Royal Bunglow, Nipaniya Road,
Infront of Samar Park,
Post-Jhalaria, Indore (M.P.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स— अचल एसोसियेट के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00157-09, पंजीयन दिनांक 27 जनवरी 2009 है। इस फर्म में 18 मई 2021 को भागीदार श्री राम दुलारे मिश्रा पुत्र श्री राम भरोसे मिश्रा, निवासी— 28, अर्जुन नगर, बलवंत नगर के पास, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) का निधन हो जाने के कारण सेवानिवृत्त हो रहे हैं एवं 18 मई 2021 को भागीदार श्रीमती सुनीता मिश्रा पत्नी स्व. श्री राम दुलारे मिश्रा, निवासी— 28, अर्जुन नगर, बलवंत नगर के पास, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में भागीदार के रूप में प्रवेश कर रही हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में 18 मई 2021 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 00, महाराणा प्रताप नगर, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) में है। सर्वसाधारण को सूचनार्थ है।

मैसर्स— अचल एसोसियेट

शिवनारायण पाठक,

(पार्टनर)

पता— 28, अर्जुन नगर, बलवंत नगर के पास,
ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-581)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स राम खिलौने उदैनियों, ग्राम पिपरउआ कलॉ, भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) में दिनांक 01 अप्रैल 2021 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन किया गया है जिसमें श्री राजीव कुमार उदैनियों

पुत्र श्री रामखिलौने उदैनियों, निवासी- ग्राम पिपरउआ कलॉ, भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं भविष्य में फर्म से सम्बंधित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना नहीं रहेगा, भविष्य में शेष सभी साझेदार फर्म से सम्बंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म चालू रहने वाले सभी साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स राम खिलौने उदैनियों

रामखिलौने उदैनियों

(पार्टनर)

निवासी- ग्राम पिपरउआ कलॉ, भाण्डेर,

जिला दतिया (म.प्र.).

(G-582)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s WAINGANGA AUTOMOBILES, having the principal place business at Survey No. 124/3, Ward no 04, Devtola, Biahar Road Distt: Balaghat, a partnership firm incorporated on 10th April 2018, having two partners named as 1. Shri Samir Diwan, 2. Smt. Harsha Bajaj. That with effect from 1st July 2021, a new partnership deed has been formed due to the reason that a new partner Shri Pawan Pathak Ward no 15 Baihar Road has been introduced in the firm and existing partner Shri Samir Diwan has retired from the firm with effect from 1st July 2021. Thus with effect from 1st July 2021 the firm, M/s Wainganga Automobiles has two Partners Namely 1. Smt. Harsha Bajaj W/o Shri Deepak Bajaj, age 35 years Ward no. 29, Gondia Road Balaghat, 2. Shri Pawan Pathak S/o Shri Rajesh Pathak, age 36 years, Ward no. 15 Baihar Road, Balaghat. This Public notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firms and Society.

M/s WAINGANGA AUTOMOBILES,
HARSHA BAJAJ,

(Partner).

(G-583)

आम सूचना

उपरोक्त विषय में लेख है कि हमारी फर्म मे. ओम फिलिंग स्टेशन का पंजीयन क्रमांक 05-26-05-0042-19, दिनांक 24 जून 2019 को फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा पंजीकृत की गई थी पंजीयन के समय तीन भागीदार थे, जिसमें से दिनांक 07 अगस्त 2021 को फर्म के एक पार्टनर श्री राजेश कुमार मोंगिया पिता मलाराम जी मोंगिया 13/288 ट्रांसपोर्ट नगर सतना, रघुराजनगर सतना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दो भागीदार यथा स्थित रहेंगे, जो निम्न हैं:-
1. विनीत मिश्रा पिता श्री विजय कुमार मिश्रा, 5/23 यमन सहारा एस्टेट, भोपाल (म.प्र.), 2. पीयूष त्रिपाठी पिता श्री रविशंकर त्रिपाठी बम्हनगवां रीवा रोड सतना (म.प्र.) अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो सहायक पंजीयक रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी रीवा में अपनी आपत्ति सकारण दर्ज करायें.

ओम फिलिंग स्टेशन

विनीत मिश्रा,

(पार्टनर).

(G-584)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने मैसर्स कृष्णा हास्पिटल एवं नर्सिंग होम पंजीकृत कार्यालय 85 विष्णुपुरा फ्रीगंज उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 7-33-01-0019-21 है, उक्त फर्म का गठन दिनांक 17 अप्रैल 2019 को किया गया था. फर्म के गठन के समय उक्त फर्म के भागीदार डॉ. मोहन यादव पिता श्री पूनमचंद जी यादव निवासी- 1/1 मुंज मार्ग, फ्रीगंज उज्जैन, श्रीमती सीमा यादव पति डॉ. मोहन यादव, श्री वैभव यादव पिता डॉ. मोहन यादव एवं लीलबाई यादव पति श्री पूनमचंद जी यादव निवासीगण-52/3 गीता कालोनी उज्जैन होकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधानों से प्रेषित है. उपरोक्त सभी भागीदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 16 मार्च 2021 को उक्त फर्म में दो भागीदार को सम्मिलित

किया गया है जिनका नाम क्रमशः डॉ. कुमारी आकांक्षा यादव पुत्री डॉ. मोहन यादव एवं अभिमन्यु यादव पिता डॉ. मोहन यादव निवासीगण- 52/3 गीता कॉलोनी, उज्जैन इस प्रकार वर्तमान में मेसर्स कृष्णा हास्पिटल एवं नर्सिंग होम के भागीदार डॉ. मोहन यादव पिता श्री पूनमचंद जी यादव निवासी- 1/1 मुंज मार्ग, फ्रीगंज उज्जैन, श्रीमती सीमा यादव पति डॉ. मोहन यादव, श्री वैभव यादव पिता डॉ. मोहन यादव एवं लीलबाई यादव पति श्री पूनमचंद जी यादव, डॉ. कुमारी आकांक्षा यादव पुत्री डॉ. मोहन यादव एवं अभिमन्यु यादव पिता डॉ. मोहन यादव निवासीगण- 52/3 गीता कालोनी, उज्जैन हो गये हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित हो।

मेसर्स कृष्णा हास्पिटल एवं नर्सिंग होम,
वैभव यादव,
(पार्टनर)

पंजीकृत कार्यालय 85 विष्णुपुरा फ्रीगंज उज्जैन.

(G-585)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र.0008-बी-113(1)-2020-21.

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2021

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यह कि "ज्योति प्रकाश चैरिटेबिल ट्रस्ट" कार्यालय जय श्रीराम कॉलोनी, जनकपुरी गेट के सामने, ए.बी. रोड़ हारकोटा गिरवी, गोल पहाड़िया लश्कर, जिला ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं लोक न्यास पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तापित करता हूँ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "ज्योति प्रकाश चैरिटेबिल ट्रस्ट" कार्यालय स्थान पुरानी छावनी हीरानगर हाल निवासी जय श्रीराम कालोनी जनकपुरी गेट के सामने, ए.बी. रोड़ गिरवाई गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर.
2. न्यास की चल सम्पत्ति : 11,000/-
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-586)

प्र.क्र.0009-बी-113(1)-2020-21.

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर, 2021

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यह कि "श्री गोपालदास गोयल गेंदाबाई चेरिटेबल ट्रस्ट" कार्यालय स्थान ग्राम गोपाल भवन संजय कॉम्पलेक्स जयेन्द्रगंज लश्कर, जिला ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं लोक न्यास पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "श्री गोपालदास गोयल गेंदाबाई चेरिटेबल ट्रस्ट"
कार्यालय गोपाल भवन संजय कॉम्पलेक्स जयेन्द्रगंज लश्कर,
जिला ग्वालियर
2. न्यास की चल सम्पत्ति : 1,00,000/-
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पंजीयक लोक न्यास एवं कलेक्टर.

(G-587)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर

रा.प्र. क्र. 03-ब-113-2019-20.- एतद्द्वारा आम जनता एवं न्यास प्रतिभा स्थली:- 350 महात्मा गांधी वार्ड, जबलपुर के समस्त न्यासियों एवं हितबद्ध लोगों को सूचित किया जाता है कि आवेदक न्यास प्रतिभा स्थली: 350 महात्मा गांधी वार्ड, जबलपुर के द्वारा अधिकृत न्यासी श्री अशोक कुमार जैन पिता स्व. महेन्द्र कुमार जैन, निवासी:- 350, महात्मा गांधी वार्ड, जबलपुर के द्वारा आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 14 लोक न्यास अधिनियम 1951 सहपठित नियम 9 लोक न्यास अधिनियम 1962 वास्ते लोक न्यास के संबंध में संपत्ति के हस्तांतरण हेतु स्वीकृति अनावेदक श्री दिगम्बर जैन संरक्षणी सभा 657, जवाहरगंज, जबलपुर द्वारा वैधानिक अधिकृत न्यासी श्री आनंद सिंधई, सिंधई पेपर मार्ट, कमनियामेट, जबलपुर के पक्ष में कृषि भूमि मौजा तिलवाराघाट खसरा नं. 112, रकबा 1.0600 हेक्टेयर, खसरा नं. 107/1 क, 106/1 रकबा 0.5310 हेक्टेयर, एवं खसरा नं. 105 रकबा, 0.260 हेक्टेयर भूमि कुल रकबा 1.73 हेक्टेयर भूमि को मंदिर निर्माण हेतु हस्तांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संघारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों

में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

जारी दिनांक 15 सितम्बर 2021

पेशी दिनांक 15 अक्टूबर 2021

(G. 588)

रा.प्र. क्र. 02-ब-113-2019-20.- एतद्द्वारा आम जनता एवं न्यास दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केन्द्र गौशाला पुराना पुल तिलवाराघाट जबलपुर के समस्त न्यासियों एवं हितबद्ध लोगों को सूचित किया जाता है कि आवेदक न्यास दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केन्द्र गौशाला पुराना पुल तिलवाराघाट जबलपुर द्वारा वैधानिक/अधिकृत न्यासी मल्ल कुमार जैन पिता स्व. गुलजारी लाल जैन निवासी संगम कालौनी, जैन मंदिर के पास चेरीताल वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर के द्वारा आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 14 लोक न्यास अधिनियम, 1951 सहपठित नियम 9 लोक न्यास अधिनियम, 1962 वास्ते लोक न्यास के संबंध में संपत्ति के हस्तांतरण हेतु स्वीकृत अनावेदक श्री दिगम्बर जैन संरक्षणी सभा 657, जवाहरगंज, जबलपुर द्वारा वैधानिक अधिकृत न्यासी श्री आनंद सिंधई, सिंधई पेपर मार्ट, कमानियागेट, जबलपुर के पक्ष में कृषि भूमि मौजा तिलवाराघाट खसरा नं. 102/3, 102/5, 102/6, 105/1, कुल रकबा 3.376 हेक्टेयर में से 1.278 हेक्टेयर भूमि को मंदिर निर्माण हेतु हस्तांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया है.

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संघारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

जारी दिनांक 15 सितम्बर 2021

पेशी दिनांक 15 अक्टूबर 2021

दिव्या अवस्थी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G. 589)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर (म.प्र.)

जूनी इंदौर, दिनांक 3 सितम्बर 2021

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र. /रीडर-1/2021.-श्री वासुपुज्य आगमोद्वारक जैन श्वेताम्बर तपागच्छ मुर्ति पूजक ट्रस्ट, पता-326, आलोकनगर, ग्रीन वेली बी ब्लॉक के सामने इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : श्री वासुपुज्य आगमोद्वारक जैन श्वेताम्बर तपागच्छ मूर्ति पूजक ट्रस्ट पता-326, आलोकनगर ग्रीन वेली बी ब्लॉक के सामने इन्दौर

2. चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

(G. 590)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा,
जिला खंडवा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 00 -बी-113(1)-2021-22.

दिनांक 13 सितम्बर 2021 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री शांतिलाल यादव, निवासी ग्राम नर्मदानगर तह. पुनासा, जिला खंडवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा "श्री संत सिंगाजी गौ संरक्षण समिति सिंगाजी मंदिर नर्मदानगर तह. पुनासा, जिला खंडवा मध्यप्रदेश का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

- सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : " श्री संत सिंगाजी गौ संरक्षण समिति सिंगाजी
मंदिर नर्मदानगर" तहसील पुनासा, जिला खंडवा मध्यप्रदेश.
पता : " श्री संत सिंगाजी गौ संरक्षण समिति सिंगाजी
मंदिर नर्मदानगर" तहसील पुनासा, जिला खंडवा मध्यप्रदेश.

अनुसूची "अ"

- चल सम्पत्ति : नगद- 1,000/- रुपये

अनुसूची "ब"

- अचल सम्पत्ति : निरंक.

चन्द्र सिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-591)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट लटेरी, जिला विदिशा

प्र.क्र.0001-बी-113-2021-22.

लटेरी, दिनांक 8 सितम्बर, 2021

प्रारूप -4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

जैसाकि श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ग्राम मुरारिया तहसील लटेरी के अध्यक्ष श्री आशीष जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 के नियम 2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लोकन्यास के रूप में पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को विचार में लिया जाएगा कोई भी व्यक्ति जो उस ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखते हो और उसके बारे में कोई आपत्ति एवं सुझाव देना चाहते हो वह इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 01 माह के अंदर अपनी आपत्ति एवं सुझाव 2 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल- चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : 'श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ग्राम मुरारिया ट्रस्ट
2. अचल संपत्ति : ट्रस्ट के मंदिर एवं धर्मशाला का भवन
3. चल सम्पत्ति : मंदिर एवं धर्मशाला में उपलब्ध मूर्तियां, नगद राशि, जेवरात, बर्तन, फर्नीचर, मशीनरी एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं जो प्रकरण की अनुसूची में वर्णित हैं.

आज दिनांक 08 सितम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

तन्मय वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G. 592)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास उपखण्ड बासौदा, जिला विदिशा
श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान
निवासी मकान नं 101 वार्ड नं. 10
गली नं 06 गौशाला रोड, बासौदा, जिला विदिशा म.प्र.
द्वारा पंडित श्री हरिनारायण पाठक
निवासी वार्ड नं. 12, अनिल प्रेस रोड
गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)
.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

समक्ष:- पंजीयक लोक न्यास बासौदा.

आवेदक श्री हरिनारायण पाठक पुत्र नाथूराम पाठक निवासी वार्ड नं. 12, अनिल प्रेस रोड, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान मकान नं. 101, वार्ड नं 10, गली नं 06 गौशाला रोड गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

1. न्यास का नाम : श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान, गंजबासौदा, जिला विदिशा म.प्र.
2. न्यास का कार्यालय : श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान, मकान नं 101 वार्ड नं-10, गली नं 06 गौशाला रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).
3. न्यास का कार्य क्षेत्र : संपूर्ण भारतवर्ष होगा.
4. न्यास की चल संपत्ति : ट्रस्ट के पास 51,000/रुपये की चल संपत्ति है.
5. न्यास का उद्देश्य : गौ माता के पालन, संरक्षण एवं संवर्धन, गौशालाओं का निर्माण करना, गौ ब्रिकी एवं गौ हत्या रोकने का प्रयास करना, गौमूत्र गौकाष्ठ संकलन/वितरण करना, धार्मिक कार्यक्रम, संतों के प्रवचन का आयोजन करना, सभी समुदायों/

धर्मावलंबियों के विवाह हेतु योग्य युवक युवतियों का सामूहिक परिचय सम्मेलन, निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन, गरीब छात्रों को शिक्षण हेतु पुस्तकों की पूर्ति ड्रेस फीस आदि, बाढ़ भूकंप पीड़ितों की मदद, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं स्कूल निर्माण करना, ग्रामीण महिलाओं हेतु सिलाई, कढ़ाई एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण खोलना एवं सहायता समूहों का गठन करना, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम चलाना, गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था, धर्मशाला एवं आश्रमों की स्थापना, सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, औपचारिक एवं अनौपचारिक सामूहिक सहायता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान, ऐतिहासिक धरोहरों, सत्संगों भवनों और आराधना स्थलों इत्यादि का जीर्णोद्धार व रखरखाव करना, पर्यावरण सुधारने से संबंधित कार्य करना तथा वृक्षारोपण, पौध संरक्षण, उद्यान वाटिका लगवाना, बिना किसी धर्म, संप्रदाय एवं जाति के भेदभाव के दीन दुखियों, साधु संतों व दुखी व्यक्ति के लिए निःशुल्क भोजन और आश्रय निवास आदि की व्यवस्था, सेवा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चंदा एकत्रित करना, सरकारी तथा गैर सरकारी अनुदान प्राप्त करना और उसे न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना, अन्य लोक पुण्यार्थ के लिये कार्य करना जो न्यासीगण उचित समझें.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस श्री रामकृष्ण रामदेव सेवा संस्थान गंजबासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन में जिस व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. अन्यथा ट्रस्ट पंजीयन की विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18 अक्टूबर 2021 नियत है.

आज दिनांक 14 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

रोशन राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G. 593)

न्यायालय श्रीमती दिव्या अवस्थी, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग-गोरखपुर, जबलपुर

प्रारूप 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के
नियम 5 (1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र. 01-बी-113(4)-2021-22.-चूंकि, आवेदक श्री संजय अग्रवाल पिता श्री आ.पी. अग्रवाल निवासी रामेश्वरम पत्रकार कॉलोनी रानीताल चौक जबलपुर के द्वारा श्री राजीव लोचनम ट्रस्ट साकेत धाम ग्वारीघाट, जिला जबलपुर द्वारा न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तहत् विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 21 सितम्बर 2021 को विचार के लिए नियत है, कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियां/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम व पता : श्री राजीव लोचनम ट्रस्ट साकेत धाम ग्वारीघाट, जिला जबलपुर
2. चल/स्थावर सम्पत्ति : ग्वारीघाट नं.ब. 603 प.ह.न. 08 खसरा नं.

जारी दिनांक 21 सितम्बर 2021.

पेशी दिनांक 25 अक्टूबर 2021.

दिव्या अवस्थी, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-594)

कार्यालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड—जावरा,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

जावरा, दिनांक 14 सितम्बर 2021

फार्म 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

क्र. 3444—रीडर—1—21.—आवेदक देवेन्द्र मूणत पिता गेंदालाल मूणत, निवासी 30, गांधी कॉलोनी, जावरा द्वारा धारा 4 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02.30 बजे की जावेगी.

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम : मूणोत फाउन्डेशन
2. चल सम्पत्ति : 2,000/- (रुपये नगद)
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

(G-595)

जावरा, दिनांक 21 सितम्बर 2021

फार्म 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

क्र. 3526—रीडर—1—21.—आवेदक गोपाललाल मालानी पिता जीवनलाल मालानी, निवासी ग्राम सुखेड़ा, तहसील पिपलौदा द्वारा धारा 4 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02.30 बजे की जावेगी.

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम : श्री माहेश्वरी समाज ट्रस्ट

2. चल सम्पत्ति : 6,39,332/- रुपये बैंक जिला सहकारी बैंक सुखेड़ा में श्री माहेश्वरी समाज के नाम से संचालित खाता क्रमांक 166005172748 में जमा.
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम सुखेड़ा में बन्दोबस्त अचल सम्पत्ति पूर्ण भूमि सर्वे नम्बर 850/1 बन्दोबस्त पश्चात भूमि सर्वे नम्बर 865 रकबा 0.060 हेक्टर भूमि उस पर बना माहेश्वरी समाज मांगलिक भवन, रकबा 0.060 हेक्टर पर बना कुल उस पर बना तल मंजिल भाग आर.सी.सी. 4284.66, 596/398.05 डबल एवं प्रथम मंजिल पर बना आर.सी.सी. 3040 स्कवेयर फीट 282.42 स्कवेयर फीट जमीन व निर्माण का वर्तमान बाजार मूल्य 15 लाख रुपये व निर्माण का बाजार मूल्य एवं भवन का रुपये 30,00,000/-.

(G-596)

जावरा, दिनांक 13/16 अगस्त 2021

फार्म 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

क्र. 3028-रीडर-1-21.-आवेदक यश जैन पिता वर्धमान जैन, निवासी पोलिटेक्निक चौराहा, जावरा द्वारा धारा 4 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 15 सितम्बर 2021 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02.30 बजे की जावेगी.

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 15 सितम्बर 2021 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम : संजीवनी फाउन्डेशन
2. चल सम्पत्ति : 2,000/- (रुपये नगद)
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

हिमांशु प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-597)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0010-बी-113(1)-2020-21.

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर 2021

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

यह कि "शिवहरे धर्मशाला न्यास, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर" कार्यालय स्थान ग्राम जयेन्द्रगंज, लश्कर, जिला ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः, मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं लोक न्यास पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे

समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "शिवहरे धर्मशाला न्यास, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर"
कार्यालय, जिला ग्वालियर.
2. चल सम्पत्ति : 11,000/-
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 24 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पंजीयक.

(G-598)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, बैरसिया, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

बैरसिया, दिनांक 28 सितम्बर 2021

प्रारूप क्रमांक 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 और मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 के नियम 6 (1) के द्वारा]

समक्ष : लोक न्यास के पंजीयक, बैरसिया, जिला भोपाल.

क्र. 942-री-2021.- अतः कि बलराम रत्नाकर आत्मज श्री ब्रम्हानंद रत्नाकर निवासी होलीपुरा कलारी चौराहा, बैरसिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951, 1951 का 30 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है.

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर एक माह के भीतर मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा. किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्याय का संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत या लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| लोक न्यास का नाम | : | श्री काली जी मंदिर महाकालिका उत्सव धर्मार्थ न्यास, होलीपुरा कलारी चौराहा, बैरसिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल मध्यप्रदेश. |
| लोक न्यास का पता | : | बलराम रत्नाकर, अध्यक्ष, श्री काली जी मंदिर महाकालिका उत्सव धर्मार्थ, होलीपुरा कलारी चौराहा, बैरसिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल मध्यप्रदेश. |
| लोक न्यास की संपत्ति का विवरण | : | माँ काली का चित्र स्वरूप प्रतिमा एक प्रतिमा, एक मंजिल सीढ़ियां, नीचे एक पक्का बना हुआ कमरा, ऊपर गुम्बत शिखर कांच का सजावट का काम संपूर्ण दीवारों पर पीतल के घंटे तथा मंदिर परिसर एवं रहवासी परिसर, जिसकी चतुर सीमाएँ पूर्व में घीसाराम कुशवाह का भवन, पश्चिम में मंदिर की पाँच फिट रिक्त भूमि तथा मैदान चौक, उत्तर में आम रास्ता ट्यूबवेल, दक्षिण में भूतेश्वर मार्ग. |

राजीव नंदन श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-599)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0002-बी-113(1)-2021-22.

खण्डवा, दिनांक 26 अगस्त 2021

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

क्र.-रीडर-1-2021-2695-. जैसाकि श्री पंकज जैन पिता राजेन्द्र जैन, निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 16 सितम्बर 2021 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	: सकल दिगम्बर जैन मुनि सेवा ट्रस्ट, खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	: 1,16,000/- रुपये नगदी, बैंक ऑफ बड़ौदा, खण्डवा में जमा राशि 4,79,445/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	: निरंक.

(G-600)

प्र.क्र. 0003-बी-113(1)-2021-22.

खण्डवा, दिनांक 26 अगस्त 2021

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962, के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

क्र.-रीडर-1-2021-2697-. जैसाकि श्री विजय कुमार सेठी पिता श्री हेमचंद्र सेठी, निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 16 सितम्बर 2021 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	: श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	: 76,410/- रुपये नगदी, बैंक ऑफ बड़ौदा, खण्डवा में जमा राशि 2,24,713/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	: निरंक.

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-601)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

लुनिया चौराहा, पुरानी जिला पंचायत सीहोर

सीहोर, दिनांक 13 सितम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2021-790.- इस कार्यालय का आदेश क्र.-परिसमापन-2016-403, सीहोर, दिनांक 22 अप्रैल 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोडी, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1765, दिनांक 28 मार्च 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोडी, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1765, दिनांक 28 मार्च 2014 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-602)

सीहोर, दिनांक 13 सितम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2021-789.- इस कार्यालय का आदेश क्र.-परिसमापन-2015-731, सीहोर, दिनांक 04 अगस्त 2015 के द्वारा महावीर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेहरू कालोनी, सीहोर, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1365, दिनांक 11 अप्रैल 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेहरू कालोनी, सीहोर, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1365, दिनांक 11 अप्रैल 2007 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक.

(G-603)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की छाछठवीं वार्षिक साधारण बैठक स्वतः उपस्थित होकर साथ ही साथ विडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य आडियो-विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को दोपहर 04:00 बजे "वित्त भवन", मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के सम्बन्ध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सांविधिक अंकेषकों की नियुक्ति पर विचार.
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 05 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट:-

- (क) छाछठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 13 अक्टूबर 2021 तक पहुँच जाना चाहिए.
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 08 अक्टूबर 2021 तक पहुँच जाना चाहिए.
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.
- (घ) अंशधारी सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में सम्मिलित होना चाहते हैं, निवेदन है कि अपना मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर लिंक प्राप्त करने हेतु प्रदान करें.

संचालक मण्डल की आज्ञानुसार.

राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रबन्ध संचालक.

28 सितम्बर 2021

"वित्त भवन",

मुम्बई-आगरा मार्ग,

इन्दौर-452 001

NOTICE

Notice is hereby given that the 66th Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai - Agra Road, Indore, on Monday, the 25th October 2021 at 4.00 pm physically as well as through Video conferencing (VC) or other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following businesses :-

1. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March 2021 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2021-22.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from 05th October 2021 to 25th October 2021 (both days inclusive).

NOTES:-

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 66th Annual General Meeting should reach the Office of the Corporation not later than four clear days *i.e.* 13th October 2021.
- (b) Proxies should reach the Office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting *i.e.* 8th October 2021.
- (c) Lists of Shareholders are available at the Office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.
- (d) The Shareholders / members who are willing to attend the AGM through VC/OAVM are requested to submit Mail ID & Mobile No. to provide them the link for the same.

By order of the Board of Directors,

28th September 2021
"Finance House"
Mumbai-Agra Road,
INDORE-452 001.

RAGHWENDRA KUMAR SINGH, Managing Director.

(G-604)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिव्यांश दुबे शपथ करता हूँ कि मेरा नाम त्रुटिवश दिव्य दुबे दर्ज हो गया है जबकि मेरे शैक्षणिक अंकसूची एवं आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाते व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दिव्यांश दुबे दर्ज है जो कि सत्य व सही है. वर्तमान में मैं, दिव्यांश दुबे के नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ. अतः भविष्य में भी मुझे दिव्यांश दुबे के नाम से जाना जावे. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम
(दिव्य दुबे)

नया नाम

(दिव्यांश दुबे)

पुत्र-स्व. श्री राजेश कुमार दुबे

पता- 85, बलवंत नगर, गांधी रोड,
ग्वालियर.

(G-605)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम ओम प्रकाश था. अपना नाम बदलकर ओम प्रकाश प्रजापति पिता श्री सीताराम प्रजापति करवाना चाहता हूँ. अब मैं, अपने नये नाम ओम प्रकाश प्रजापति पिता श्री सीताराम प्रजापति के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाऊंगा. से विदित होवे.

पुराना नाम
(ओम प्रकाश)

नया नाम

(ओम प्रकाश प्रजापति)

पिता-श्री सीताराम प्रजापति.

पता- मकान नंबर 45 गली नंबर-3,
छोला मंदिर के पास, भोपाल (म.प्र.).

(G-606)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम पाँडुरंग गीदकर पिता स्व. श्री मानिकराव गीदकर है. मेरे सेवा पुस्तिका में उपनाम मात्रा त्रुटिवश गीदकर के स्थान पर गीतेकर अंकित हो गया है. जो कि त्रुटिवश है. मेरे आधार कार्ड सहित समस्त दस्तावेजों में उपनाम गीदकर है. भविष्य में मुझे पाँडुरंग गीदकर के नाम से ही जाना, पहचाना जाएगा.

पुराना नाम
(पाँडुरंग गीतेकर)

नया नाम
(पाँडुरंग गीदकर)
पता— म.नं. 374, स्कीम न. 51, इन्दौर (म.प्र.).

(G-607)

नाम परिवर्तन

मैं, रवि शंकर अग्रवाल घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र जो समर्थ अग्रवाल पिता रवि अग्रवाल के नाम से जाना जाता था, उसे अब भविष्य में समर्थ अग्रवाल पिता रवि शंकर अग्रवाल के नाम से जाना पहचाना जाए.

पुराना नाम
(रवि अग्रवाल)

नया नाम
(रवि शंकर अग्रवाल)
पता— म.न. 1956, नियर आदर्श हॉस्पिटल,
शाहजहांनाबाद भोपाल.

(G-608)

नाम परिवर्तन

मुझ सूचनाकर्ता का पूर्व में विजय कुमार जाटव नाम था, अब भविष्य के लिये अपना उप सर्वनेम जाटव 'JATAV' के स्थान पर सुन्दरम 'SUNDARAM' अंकित कराना चाहता हूँ तथा भविष्य में सभी संबंधित दस्तावेजों में मेरा उप सर्वनेम सुन्दरम 'SUNDARAM' अंकित होगा.

पुराना नाम
(विजय कुमार जाटव)

नया नाम
(विजय सुन्दरम)
निवासी— 318, सुरेश नगर ठाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-609)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मार्कशीट दस्तावेज में मेरा नाम सैय्यद मोहम्मद. एम (SYED MOHAMMED.M) लिखा गया है, जिसे मैंने पूर्व के उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम सैय्यद मोहम्मद (SYED MOHAMMED) कर लिया है एवं मेरे अन्य दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि पर सैय्यद मोहम्मद (SYED MOHAMMED) नाम है. अब मुझे सभी व्यक्ति एवं समाज के लोग, मित्र मुझे सैय्यद मोहम्मद के नाम से जानते व पहचानते हैं. अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, शासकीय पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सैय्यद मोहम्मद (SYED MOHAMMED) से जाना जाये, पढ़ा जाये, लिखा जाये एवं जाना, पहचाना जाये.

अतः सर्व-साधारण में सूचित हो.

भवदीय
(सैय्यद मोहम्मद)
निवासी-बी (जस्मीन) 248, न्यू मिनाल रेसीडेंसी,
जे.के. रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-610)

CHANGE OF NAME

I R. Aditya S/o G. Ramesh Flat No. 301, Shekhar Regency, GF-8, Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore (Madhya Pradesh) Pin 452010. I would like to state that my name appearing in CBSE Class 10th Marksheet (Roll No. 1225120)/2016, CBSE Class 12th Marksheet (Roll No. 1711786)/2018 and in my university records is as R. Aditya S/o G. Ramesh. I have changed my name from R. Aditya S/o G. Ramesh to Aditya Ramesh S/o G. Ramesh for all future purposes. Now in the future, I will be only known and recognized as Aditya Ramesh S/o G. Ramesh which is completely true and correct. That further my all Govt. and Non-Govt. documents will bear my name as Aditya Ramesh S/o G. Ramesh for further reference.

Old Name	New Name
(R. ADITYA) S/o G. Ramesh	(ADITYA RAMESH) S/o G. Ramesh

(G-611)

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s. OM INDUSTRIES" of Bhopal *vide* Registration No. 01-01-01-00152-2014 Date of Registration 27 June 2014 undergone the following changes:-

1. That the all parties here to have decided to dissolve the said partnership firm *w.e.f.* 03 September 2021.

M/s. OM INDUSTRIES,

(Nandkishore Kashyp)

Partner.

Plot No. 41, I Sector Industrial Area,
Govindpura, Bhopal M.P.

(G-612)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ वैष्णो ट्रेडर्स एंड मैनुफैक्चरर्स जिसका कार्यालय वार्ड नं. 35, कुलबेहरा वार्ड, होटल द करन के सामने, नागपुर रोड, सर्रा, छिंदवाडा, जिला छिंदवाडा, मध्यप्रदेश में है. उक्त फर्म में श्री संतोष असाटी पिता स्व. श्री रामनारायण असाटी एवं श्री संदीप असाटी पिता श्री संतोष असाटी दिनांक 01 जुलाई 2021 से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा श्रीमति समता असाटी पति श्री संतोष असाटी दिनांक 01 जुलाई 2021 से उक्त फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित हुई हैं. इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें.

वास्ते मे. माँ वैष्णो ट्रेडर्स एंड मैनुफैक्चरर्स

राहुल असाटी,

साझेदार

(G-613)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जिसका कार्यालय पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास, वार्ड नं. 25, प्रेमनगर, बालाघाट, जिला बालाघाट में है. उक्त फर्म में से 1. श्री संतोष असाटी पिता स्व. श्री रामनारायण असाटी कर्ता (एच.यू.एफ.), 2. श्री संदीप असाटी पिता श्री संतोष असाटी, 3. श्रीमति रूचिता असाटी पति श्री संदीप असाटी दिनांक 01 जुलाई 2021 से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें.

वास्ते मे. एस. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स
समता असाटी,
साझेदार

(G-614)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कृपा हरिलीला फयूल जो पंचवटी कॉलोनी, रामाजी का पुरा, बहोड़ापुर, ग्वालियर में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0202-21 एवं दिनांक 28 सितम्बर 2021 है, जो दिनांक 14 अप्रैल 2020 से प्रभावशील है, जिसमें दिनांक 12 अगस्त 2021 को भागीदार श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री राकेश कुमार गुप्ता, निवासी- म.नं. 658, सेक्टर-14, फरीदाबाद अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स कृपा हरिलीला फयूल
धीरज साहू,
भागीदार,

(G-615)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. मारुतिनंदन फिलिंग स्टेशन ग्राम कटकोना, बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश, जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 05-23-01-0057-18, सन् 2018-19, दिनांक 20 जुलाई 2018 है. जिसमें श्री राजेश कुमार भुजिया एवं श्री हिमांशु खण्डेलवाल भागीदार थे. फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 04 सितम्बर 2021 को श्री राजेश कुमार भुजिया फर्म की भागीदारी से पृथक् हुये एवं उक्त दिनांक को ही श्री आकाश रौतेल भागीदारी में सम्मिलित हुये. उक्त फर्म की रचना परिवर्तन हेतु सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है. अतः जिस किसी को आपत्ति हो सात दिवस के अंदर सूचित करें.

मे. मारुतिनंदन फिलिंग स्टेशन
हिमांशु खण्डेलवाल,
पार्टनर,

(G-616)

आम सूचना

विन्ध्या कंशट्रक्शन कंपनी, सतना पंजीयन क्रमांक R.div.04 दिनांक 04 जुलाई 2001 पर पंजीकृत फर्म है. उक्त फर्म में श्री आशुतोष मिश्रा, श्री राजकुमार पांडे, श्री रविशंकर पांडे एवं श्री राहुल अग्रवाल हैं. फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01 अप्रैल 2021 को श्री राजकुमार पांडे पृथक् हो गये हैं एवं श्रीमती रश्मि पांडे सम्मिलित हो गयीं हैं.

मैसर्स विन्ध्या कंशट्रक्शन कंपनी
आशुतोष मिश्रा,
भागीदार,

(G-617)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2021—आश्विन 16, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)